

मान्यता नवीनीकरण

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.ld18@gmail.com फोन नं. -07752-493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./BSP-E /2021-22/20-306 बिलासपुर,दि. 10/01/2022
प्रति,

प्रबंधक/प्राचार्य
महर्षि विद्या मंदिर, मंगला
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।


संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र क. 554 दि. 10.12.2021।

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पत्र क./11637/अशास/मान्यता/2019, बिलासपुर, दिनांक 14.12.2018 में उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं नोडल प्राचार्य (आर.टी.आई) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर महर्षि विद्या मंदिर मंगला, जिला बिलासपुर (यू ड्राईस-22070328720) को नर्सरी से 12 वीं एवं दि 14.12.2021 से सत्र 2023-24 तक (अंग्रेजी माध्यम शाला/सी.बी.एस.ई बोर्ड) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ.-02-39/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :-

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :-
 - विद्यालय का भवन-प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि। -
 - खेल का मैदान।


- आदर्श / ज्ञान पथक वृत्त समूह के लिये फुवक - फुवक कक्ष।
 - प्याज, गाजर, फलों के लिये फुवक - फुवक बीचालय भी व्यवस्था।
 - विभिन्न विद्यार्थियों के लिये फुवक बीचालय की व्यवस्था।
 - ब्लॉक विद्यार्थी को बैठने के लिये कनीचन की व्यवस्था।
 - उष्ण सार अनुसूचन वीथ एवं नवितित अस्थापना की व्यवस्था।
 - दूध देवलय सुकेत, अतिव नमन दंड।
 - व्यवस्थित पर्यटन मार्ग, आदि।
 - क्रीडा खेलकूद के उपकरणों / मुलकालय / इवॉग सारक की फुवक - फुवक व्यवस्था।
5. विद्यालय को सौभाग्यो रविश्रीकरण अधिनियम - 1986 (1986 का 21) के अर्धीन रविश्रीकरण किमी सौभाग्यो इतर या सारकत सुगत किमी विधि के अर्धीन नालि किमी लोकावधान इतर संभवित होगा।
 7. विद्यालय के लेखाओं की किमी बार्डर सुवाउलेट, इतर सारकता की जारी बार्डर और उपाके इतर समर्थित किमा जना बार्डर तथा उचित लेखा किमलय, निम्नो के अनुसार ब्लॉक सर्व सेवा किमा आवायक होगा। प्रत्येक लेखा विद्यालय/आडिट की एक प्रति प्रत्येक सर्व विद्या किमा अधिकारी को फेडी जारी होगी।
 8. अपने विद्यालय को नु खरिसा - 2207200220720 को पराधार के लिए उल्लेख करें।
 9. विद्यालय ऐसी निर्देश और सुचना प्रकृत कलेग को प्र.प.शालन एवं सनावन लोक विद्यालय संवाउलनालय / संयुक्त संवाउलन किमा संवाग विद्यालय/विद्या किमा अधिकारी इतर संभव-संभव पर अधिनित हो लोच राज्य सारक/स्थानीय अधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेग जो संभवत संघर्ष कर्ते के सारत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के अर्धीनन की अधिको को वृह कलेग के लिए जारी किए गये हों।
 10. सौभाग्यो के रविश्रीकरण लोडिग संजीवन / नजीनीकरण होन आवश्यक है।
 11. विद्यालय इतर उतने या अने संवाउलन नहीं करने की किमति में संयुक्त संवाउलन / विद्या किमा अधिकारी / विद्या किमा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संयुक्ति करने होंगे।
 12. प्र.प.शालन सुगत किमा विभाग के इतरा संभव-संभव में जारी निर्देशों का पालन किमा जना अधिवार्ये होगी।
 13. कोडिड 19 के संकेत में प्र.प. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के इतरा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुये शाला का संवाउलन चलना होगा।



 सहायक सचिव
 शिक्षा संवाग विद्यालय
 जलसीसगढ़

विद्यालयदि 10/04/2022-

नु क / सनावन / मान्य, नदीनी / BSN-E / 2021-22 / 20-336A
 नतिदिने-

1. संयुक्त लोक शिक्षण संवाउलनालय, इलाहाबाद नमन, जटल नगर, नवा सगपुर को सारक सुचनाएं प्रेदि।
2. सारक प्र.प. सारकित किमा मंडल सगपुर को सारक सुचनाएं प्रेदि।
3. विद्या किमा अधिकारी विद्यालय (072) को सुचनाएं।


 सहायक सचिव
 शिक्षा संवाग विद्यालय
 जलसीसगढ़


 26/3/24